न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवरिया

प्रकरण संख्या क्रमांक 1344/2024 राज्य बनाम

तारीख हुकम	हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो तारीख में
26/6/2024	[illegible]	1344 04/7/24
31/7/2024	आज दिनांक पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में वादाधिवादी पुलिस थाना खिलाड़ी द्वारा धर्म पत्रांक 6960 दिनांक 26/11/2018 के द्वारा मुकदमा संख्या 315/2018 धारा 3/7 ECACT 1955 का उल्लेख अंकित करते हुये प्रकरण में जप्त शुदा अवैध गैस सिलेण्डर 40 का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया है, जिसकी पत्रावली संख्या 12/22/2024 विचाराधीन है। इसी संदर्भ में विद्वान सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही करते हुये ECACT की धारा 1955, 6A के तहत गठित जिला स्तरीय समिति का न्यायालय को पत्र किया है जिसका प्रकरण संख्या 12/34/2024 है। जिसकी कार्यवाही विचाराधीन है। प्रकरण में वादाधिकारी द्वारा जप्त सामग्री के निस्तारण हेतु पृथक से कार्यवाही संचालित की गयी है, जिसका अभी अनुपालन नहीं है, क्योंकि सामग्री का निस्तारण ECACT की धारा 6A के तहत किये जाने का	

— P.T.O —

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

प्रावधान हो और CA का पक्षकार पृथक से चल रहा हो ऐसी स्थिति में थानाधिकारी पुलिस थाना संदा चाही गयी कार्यवाही पृथक से चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है/पत्रावली की कार्यवाही इस की बाकी की पत्रावली में किये जाने है कि उक्त पत्रावली को मूल CA की पत्रावली 60 1/34/2024 के साथ शामिल किया जावे पत्रावली फोकल - मुक्त हो।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट फोकल - सीकर